

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (बी-299/86)/अलेसे-11/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री भंवर लाल डागर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर द्वितीय, जयपुर जिनकी जन्मतिथि 10.06.1961 (लिंक नं. 3460) व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 21.07.1988 है, उनके आवेदन पत्र दिनांक 02.01.2015 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2015 में पंचायत चुनाव लड़ने हेतु दिनांक 20.01.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्णय क्रमांक एफ 13 (7) क्ति (नियम)/2006 दिनांक 26.10.2009 के क्रम में नोटिस अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्री डागर की दिनांक 20.01.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री भंवर लाल डागर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत कोई विभागीय जाँच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।



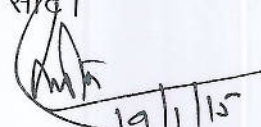
(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (बी-299/86)/अलेसे-11/11005-110014 दिनांक :- 19-1-15

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर द्वितीय, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, जयपुर (शहरे), जयपुर।
4. श्री भंवर लाल डागर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, उपभोक्ता मंच, जयपुर।
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में ऐन्ट्री करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।



(डा. नोपाराम पारीक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)